"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2015—कार्तिक 15, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्रमांक/ई-1-16/2015/1/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/11/2013-एआईएस (1) दिनांक 21-10-2015 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (2) के अंतर्गत श्री रवि प्रकाश गुप्ता, भा.प्र.से. (2007) की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से हरियाणा राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉंड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्रमांक 817/206/अव./2003/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 13-07-2015 से 26-07-2015 तक 14 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार, आगामी आदेश तक अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लिखार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लिखार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्रमांक 819/3533/अव./2014/1-8/स्था.—श्री ए. एच. युसुफी, लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 07-09-2015 से 11-09-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 12 एवं 13-09-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. युसुफी, आगामी आदेश तक लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ए. एच. युसुफी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. एच. युसुफी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्रमांक 821/132/अव./2014/1-8/स्था.—श्रीमती शांता खरे, स्टाफ आफिसर, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को दिनांक 10-08-2015 से 22-08-2015 (दिनांक 23-08-2015 को घोषित शासकीय अवकाश सहित) 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने श्रीमती शांता खरे, आगामी पदस्थापना आदेश तक स्टाफ आफिसर, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के पद पर पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती शांता खरे को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शांता खरे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 826/113/अव./2003/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को दिनांक 30-07-2015 से 07-08-2015 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय आगामी आदेश तक उप सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री जी. आर. मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्रमांक 851/1547/अव./2015/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग को दिनांक 27-05-2015 से 19-05-2015 तक 26 दिवस का (दिनांक 20, 21-06-2015 को घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. लेवे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आर. सी. लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. सी. लेवे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2015

क्रमांक 923/534/2010/1-8/स्था.—श्री अशफाक हुसैन सिद्धिकी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग को दिनांक 21-09-2015 से 03-10-2015 तक (दिनांक 19, 20-09-2015 तथा दिनांक 04-10-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अशफाक हुसैन सिद्धिकी, आगामी आदेश तक अवर सचिव, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिद्धिकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्धिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2015

क्रमांक 925/3253/अव./2004/1-8/स्था.—श्री एम. एन. राजूरकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 27-08-2015 से 02-09-2015 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एन. राजूरकर, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजूरकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजूरकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2015

क्रमांक 927/747/2015/1-8/स्था.—श्री कमर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 21-09-2015 से 01-10-2015 तक (दिनांक 19, 20-09-2015 तथा दिनांक 02-10-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कमर अली, आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कमर अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कमर अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्रमांक 931/149/अव./2012/1-8/स्था.—श्री एस. के. दुबे, उप संचालक, वित्तीय प्रकोष्ठ, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ.ग. मंत्रालय को दिनांक 21-09-2015 से 30-09-2015 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. दुबे, आगामी आदेश तक उप संचालक, वित्तीय प्रकोष्ठ, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दुबे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्रमांक 951/452/अव./2010/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 679-680/452/2010/1-8/स्था, दिनांक 25-08-2015 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग को दिनांक 17-08-2015 से 28-08-2015 तक कुल-12 दिवस के स्थान पर दिनांक 17-08-2015 से 11-09-2015 तक (दिनांक 12 एवं 13-09-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) 26 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. पूर्व में जारी उक्त आदेश दिनांक 25-08-2015 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत रहेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्रमांक 953/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 28-09-2015 से 16-10-2015 तक (दिनांक 17, 18-10-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन, भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

क्रमांक 967/1010/अव./2015/1-8/स्था.—श्रीमती ईफ्फत-आरा, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 28-09-2015 से 03-10-2015 तक (दिनांक 04-10-2015 को घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती ईफ्फत-आरा, आगामी आदेश तक उप सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती आरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आरा, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 1-43/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, भारतीय पुलिस सेवा के 2010 आबंटन वर्ष के श्री गिरिजा शंकर जायसवाल, पुलिस अधीक्षक, जिला जशपुर को, आबंटन वर्ष से 04 वर्ष की सेवा दिनांक 01-01-2014 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 3 के अंतर्गत, उक्त तिथि अर्थात दिनांक 01-01-2014 से सेवा के वरिष्ठ वेतनमान (पे बैंड 15600-39100 ग्रेड पे रु. 6600/-) प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 08 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 2-18/2010/नौ/55-तीन.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा नियम, 2014" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. कंडिका 6(4) में शब्द "आयुष महाविद्यालयों की" के पश्चात् तथा "प्रबंधन नियतांश" के पूर्व "शासकीय नियतांश" प्रतिस्थापित किया जाए.

2. कंडिका 6(4) से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नवीन प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाती है :—
"स्पष्टीकरण-1 शासकीय नियतांश की परिवर्तित सीटों की पूर्ति के समय कंडिका 5 में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाए.

स्प्टीकरण-2 उक्त प्रावधान कंडिका 6(5) में यूनानी महाविद्यालयों में पाश्विक प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों पर लागू नहीं होगें."

3. कंडिका-8 (19) (ञ) में अंक व शब्द "30 अक्टूबर" व "31 अक्टूबर" के स्थान पर क्रमश: अंक व शब्द "15 अक्टूबर" व "25 अक्टूबर" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. के. वर्मा, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक/पंचा-1141/पंग्राविवि/22/2015/667.—छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 70 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. एडी 0-26, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में.—

1. नियम 27 के खण्ड (दो) में शब्द "स्थिति थी" के पश्चात् कोलन ":", के स्थान पर, पूर्ण विराम "." प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 27 के खण्ड (दो) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

क्रमांक/पंचा-1141/पंग्राविवि/22/2015/668.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा-1141/पंग्राविवि/22/2015/667, दिनांक 12-10-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th October 2015

No./P.-1141/PGW/22/2015/667.—The following further draft amendment in the Chhattisgarh Panchayat Service (Recruitment and General Conditions of Services) Rules, 1999, which the State Government proposes to make in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Joint Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. AD 0-26, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (ii) rule 27, for the colon ":", after the word "appointment" the full stop "." shall be substituted.

2. First and Second proviso of clause (ii) of rule 27 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. L. NAYAK, Joint Secretary.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 6-8/2010/10-2.—छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) नियम, 1984 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्र. 13 सन् 1984) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति के विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग कक्ष क्रमांक एस 1-10, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के उप-नियम (2) के खण्ड (घ) में, शब्द "मासिक" के स्थान पर शब्द "त्रैमासिक" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 5 में

(क) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"(2) आरा मिल के लिये अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन शुल्क रु. 300 तथा आरा गड्ढे के लिये रु. 30 होगा."

(ख) उप-नियम (4) में शब्द "एक कैलेण्डर वर्ष के लिये" के स्थान पर, शब्द "तीन कैलेण्डर वर्ष के लिये" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 6 के उप-नियम (3) में, शब्द तथा अंक "आगामी मास की दस तारीख तक, न कि उसके पश्चात्" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "आगामी त्रैमास के प्रथम मास की 10 तारीख तक न कि उसके पश्चात्" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 6-8/2010/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-8/2010/10-2 दिनांक 19-10-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 19th October 2015

No. F 6-8/2010/10-2.—The following further draft of amendment in the Chhattisgarh Kashtha Chiran (Viniyaman) Niyam, 1984, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 22 of the Chhattisgarh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 22 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Officical Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours by the office of the Secretary, Government of Chhajttisgarh, Department of Forest, Room Number S1-10, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rule,—

1. In clause (d) of sub-rule (2) of rule 4, for the word "monthly", the word "quarterly" shall be substituted.

2. In rule 5,—
   (a) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:
   "(2) the application fee for the renewal of license for saw mill shall be Rs. 300 and sawpits shall be Rs. 30."

   (b) in sub-rule (4), for the words "for a calendar year", the words "for three calendar years" shall be substituted.

3. In sub rule (3) of rule 6, for the words and figure "not later than 10th of the following month", the words and figure "not later than 10th of the first month of the next quarter" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 6-8/2010/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41 एवं 42 सहपठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 15 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :
"500/- रुपये की दर से वार्षिक शुल्क के भुगतान के पश्चात्, पंजीयन, वार्षिक रूप से किया जायेगा किन्तु अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये हो सकेगा."

2. नियम 17 के उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
"पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर वनमंडलाधिकारी, आवश्यक सत्यापन के पश्चात् और 2500/- रुपये की दर से वार्षिक शुल्क के भुगतान पर वार्षिक रूप से पंजीकृत करेगा किन्तु अधिकतम तीन वर्ष की कालावधि के लिये हो सकेगा तथा आवेदक को प्रारूप-घ में आयात का पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2015

क्रमांक एफ 6-8/2010/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-8/2010/10-2 दिनांक 19-10-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 19th October 2015

No. F 6-8/2010/10-2.—In exercise of the powers conferred by Sections 41 and 42 read with Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For sub-rule (4) of rule 15, the following shall be substituted, namely :—
"After payment of annual fees at the rate of Rs. 500/- registration shall be done annually but may be for a maximum period of three years."

2. For sub-rule (2) of rule 17, the following shall be substituted, namely :—
"The Divisional Forest Officer upon receipt of the application for registration, after necessary verification, and on payment of annual fees at the rate of Rs. 2500/-, shall register annually but may be for a maximum period of three years and issue the registration certificate of import in Form-D to applicant."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-59/तीन (एक)-18/पंचा./कार.अव./2014/2903, दिनांक 13-10-2015 में उल्लेखित छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-37-27/तीन (एक)-3/पंचा./2015/2876, दिनांक 09-10-2015 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा राज्य के संलग्न परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये जिलों के जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार दिनांक 08-11-2015 (रविवार) को मतदान कराया जाएगा.

2. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 08-11-2015 (रविवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02-घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अब्बास खान, अवर सचिव.

परिशिष्ट-एक

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की जानकारी 30-06-2015 की स्थिति में

क्र. (1)	जिला (2)	जिला पंचायत सदस्य (3)	जनपद पंचायत सदस्य (4)	सरपंच (5)	पंच (6)	कुल पदों का योग (7)
1.	बिलासपुर	0	0	0	5	5
2.	मुंगेली	0	0	4	3	7
3.	जांजगीर-चांपा	0	0	0	8	8
4.	कोरबा	0	0	0	11	11
5.	सूरजपुर	0	0	2	29	31
6.	बलरामपुर	0	1	0	6	7
7.	सरगुजा	0	0	0	17	17
8.	कोरिया	0	0	0	10	10
9.	रायगढ़	0	1	2	17	20
10.	जशपुर	0	0	0	17	17
11.	रायपुर	0	0	2	8	10
12.	बलौदाबाजार	0	0	1	6	7
13.	गरियाबंद	0	0	0	15	15
14.	महासमुन्द	0	0	1	4	5
15.	धमतरी	0	0	0	8	8
16.	बेमेतरा	0	0	0	4	4
17.	दुर्ग	0	0	2	6	8
18.	बालोद	0	0	7	4	11
19.	राजनांदगांव	0	1	2	11	14
20.	कबीरधाम	0	0	0	8	8
21.	बस्तर	0	1	1	1	3
22.	नारायणपुर	0	0	0	2	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	कांकेर	0	0	4	147	151
24.	दन्तेवाड़ा	0	2	2	25	29
25.	सुकमा	0	0	0	49	49
26.	बीजापुर	0	0	5	2	7
	योग	**0**	**6**	**35**	**423**	**464**

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्रमांक एफ 4-16/2013/11/(6).— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-01-2015 द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 40 (1), (क), के अंतर्गत पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के आदेश के विरुद्ध राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत अपील की सुनवाई हेतु स्व. श्री एस. के. बेहार, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, अब स्व. श्री बेहार के स्थान पर श्री आर. के. श्रीवास्तव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है. श्री श्रीवास्तव, द्वारा अपील की सुनवाई की जाकर आदेश हेतु भारसाधक अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को प्रस्तुत करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2015

क्रमांक 06/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सेमरा प.ह.नं. 06	0.969	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेमरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2015

क्रमांक 26/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सोनपुरी प.ह.नं. 05	0.073	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	खोंगसरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक 34/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	केनाडाड़ प.ह.नं. 07	0.906	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	जेवस व्यपवर्तन योजना माईनर नहर क्र.-1, निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नारायणपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्रमांक/01/अ-82/2016-17.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नारायणपुर	नारायणपुर	ब्रेहबेड़ा	6.17	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, नारायणपुर.	ग्राम देवगांव में जलाशय परियोजना निर्माण हेतु.
		देवगांव	26.28		
		टिमनार	15.00		
		योग	**47.45**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टामनसिंह सोनवानी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 16 अक्टूबर 2015

क्रमांक/234/भू-अर्जन/प्र.क्र.-8 अ/82 वर्ष 2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	सिमगा	बिटकुली प.ह.नं. 32	0.202	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा.	बिटकुली जांगड़ा मार्ग के जमुनैया नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 25 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-धरमपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.985 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	730	0.051
	584	0.004
	654	0.210
	645	0.128
	612/3	0.008
	443	0.008
	400	0.226
	731	0.065
	585	0.085
	657	0.226
	629/2	0.036
	614	0.113
	440	0.012
	399	0.168
	592/1	0.161
	593/2	0.093
	658	0.136
	646	0.101
	633	0.186
	412	0.012
	434/1	0.083
	737/1	0.096
	595	0.045
	643	0.101
	608/3	0.093
	616	0.020
	435	0.057
	438	0.105
	732	0.057
	679	0.070
	649/1	0.056
	610/1	0.188
	632/1	0.081
	437	0.012
	736/1	0.092
	715/1	0.020
	671	0.026
	647	0.150
	613/1	0.061
	628/3	0.190
	432	0.142
	670	0.020
	737/2	0.012
	672	0.066
	644/1	0.024
	613/2	0.041
	442	0.185
	433	0.078
	497	0.020
योग	39	3.985

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलजोरा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सीतापुर

(ग) नगर/ग्राम-बेलजोरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-31.909 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
827/1	0.809
827/3	0.227
836	0.057
1031	0.829
957	0.020
961/1	0.068
969/5	0.109
1005	0.121
1011/1	0.024
1011/2	0.008
986	0.040
1075/2	0.069
991/3	0.211
1269	0.445
1046	1.125
1120/2	0.101
1292/2	0.294
1261	0.352
1296	0.417
1311/1	0.405
1315/2	0.323
828	0.069
831	0.870
837	0.462
840	0.061
958	0.231
961/2	0.146
1000	0.259
1006	0.089
1012/1	0.041
1012/2	0.056
987	0.024
1075/2	0.101
991/1	0.206
1271	0.858
1047	0.340
1292/2	0.293
1586/2	0.091

(1)	(2)
1263	0.833
1297	0.049
1312	0.235
1316/2	0.040
829	0.202
832	0.024
838	0.466
851/1	0.243
959	0.182
963	0.020
1001	0.170
984	0.259
1015/5	0.044
1014	0.219
988	0.073
977/1	0.144
993	0.089
1038/1	0.040
1048	0.510
1586/1	0.092
1590/2	0.023
1282	0.316
1301	0.223
1313	0.061
1317	0.040
830	0.020
833	0.045
1135/5	0.324
852/1	0.405
960	0.128
964	0.757
967	0.125
1007	0.121
1041	0.125
1303/2	0.060
989	0.239
980	0.069
994	0.494
1038/3	0.328
1054	0.283
1590/1	0.022
1138/3	0.323
1284	0.259
1302	0.158
1314	0.065
1318/1	0.231
1295/1	0.158
834	0.190

(1)	(2)
1311/2	0.202
1015/1	0.219
1260	0.085
1298	1.044
979	0.105
1008	0.198
1055/5	0.044
1582	0.032
969/2	0.445
985/1	0.341
1023	0.146
1039	0.140
1057	0.146
1591/1	0.061
1153	0.040
1285/2	0.526
1303/1	0.457
1316/1	0.033
1513	0.223
827/2	0.202
1049	0.016
839	0.316
1213/2	0.097
1291	0.024
965	0.057
1003	0.016
1009	0.056
1230/2	0.157
996/1	0.384
969/4	0.012
985/2	0.109
1210	0.206
1040	0.158
1262	0.100
1120/3	0.202
1184	0.294
1293/6	0.255
1304/1	0.304
1318/2	0.182
1259	0.050
1056/1	0.224
835	0.202
1032	0.308
956	0.210
1539	0.591
966	0.028
1002	0.061
1010	0.056
1293/11	0.688
969/3	0.344
976/1	0.069
991/5	0.117
1255	0.283
1042	0.063
1058	0.060
1239/1	0.040
1239/2	0.320
1295/2	0.202
1304/2	0.299
1315/1	0.283
योग 67	31.909

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलजोरा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाठ
- (ग) नगर/ग्राम-रोपाखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.546 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
675	0.546
योग	0.546

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रोपाखार जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 25 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाठ
- (ग) नगर/ग्राम-रोपाखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
859	0.105
योग 1	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रोपाखार जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-बटईकेला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.353 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1606/2	0.020
1607	0.024
1605	0.008
1609	0.049
1610/2	0.040
1685	0.242
1611/1	0.073
1612	0.040
1613/1	0.161
1643/1	0.073
1642/1	0.097
1613/2	0.178
1614/2	0.016
1653	0.089
1652/1	0.016
1655/2	0.314
1664	0.089
1665	0.065
1666	0.020
1667	0.032
1682	0.146
1683/1	0.121
1683/2	0.024
1710	0.040
1711	0.093

	(1)	(2)
	1943	0.283
योग	26	2.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-माण्ड व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-हर्रामार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.801 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
556/1	0.030
304/2	0.040
696	0.141
334	0.141
450	0.101
528/3	0.068
521	0.068
548	0.049
540	0.041
328	0.049
514/1	0.340
305	0.057
309	0.041
462	0.032
331	0.032
848/3	0.028
430/1	0.132
483	0.008
547	0.081
530	0.004
306	0.041
701	0.121
1155	0.101
332	0.012
425	0.041
440/1	0.132
484	0.081
695	0.081
514/1	0.056
307/1	0.032
324/1	0.024
1280	0.049
463	0.081
451/2	0.041
431	0.012
485	0.020
1152	0.033
543/2	0.045
692	0.024
316	0.041
549/1	0.113
534	0.160
327/1	0.049
536	0.041
537/1	0.093
1157	0.101
304/1	0.041
308	0.041
1153	0.081
693	0.012
322	0.024
451/1	0.041
541/2	0.061
542	0.049
557	0.049
304/3	0.040
321	0.032
1158	0.081
323	0.024

	(1)	(2)
	528/1	0.068
	311/1	0.020
	543/1	0.045
	538	0.012
	527	0.101
योग	44	3.801

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटछाल जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-महारानीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.954 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	186/1	0.073
	155	0.008
	151	0.049
	147/4	0.061
	245	0.141
	103/1	0.294
	193	0.162
	156	0.0161
	186/2	0.073
	104	0.101
	103/2	0.294
	244/3	0.032
	167	0.255
	164	0.020
	147/2	0.081
	216	0.008
	133	0.121
	132	0.174
	185	0.081
	165	0.016
	194	0.275
	217	0.024
	111	0.020
	109	0.081
	196	0.061
	148	0.061
	130	0.081
	134/1	0.171
	115/1	0.081
	134/3	0.086
	147/3	0.262
	149	0.101
	195	0.081
	116	0.081
	92	0.020
	100	0.222
	154	0.061
	150	0.049
	153	0.041
	244/1	0.109
	110	0.041
योग	27	3.954

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महारानीपुर जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 26 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-चिड़ापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.270 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	70	0.154
	43	0.041
	163	0.154
	167	0.061
	46	0.061
	66	0.141
	166	0.093
	47/1	0.113
	73	0.020
	161	0.134
	198	0.041
	47/2	0.041
	52/2	0.041
	80	0.032
	65	0.121
	52/1	0.041
	199	0.182
	52/3	0.041
	169	0.061
	46	0.061
	51/1	0.243
	205	0.061
	53/1	0.028
	51/3	0.041
	162	0.020
	203	0.243
योग	25	2.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महारानीपुर व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-धरमपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.569 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
658	0.026
660/2	0.060
145	0.030
144	0.030
141	0.035
140/2	0.026
138/3	0.090
690/2	0.041
727/1	0.020
726/2	0.041
717/2	0.060
718/2	0.024

	(1)	(2)
	706	0.030
	707/3	0.026
	658/2	0.030
योग	15	0.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलजोरा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-लैगु
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.797 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
283/1	0.028
219	0.061
247	0.020
101	0.145
126	0.057
202	0.028
281	0.125
180	0.141
71/1	0.194
308	0.061
78	0.299
208	0.008
220	0.008
135/2	0.137
285/2	0.149
150	0.117
223	0.008
93	0.113
263	0.008
138/2	0.081
309	0.020
146/23	0.028
216	0.041
283/2	0.024
209/1	0.016
312	0.117
153	0.186
274	0.041
97	0.174
264	0.069
143	0.133
310	0.036
129	0.077
304	0.020
285/1	0.149
221	0.041
91	0.137
296	0.109
92/2	0.073
130	0.028
306/1	0.162
272	0.032
95/1	0.259
146/14	0.049
306/2	0.029
282/2	0.081
92/1	0.081
100	0.089
131	0.364
135/3	0.283
313	0.069
268	0.016
273	0.041
382/3	0.137
146/22	0.174
297	0.028
244	0.053

	(1)	(2)
	98	0.077
	149	0.121
	152	0.202
	138/1	0.041
	77	0.125
	269	0.065
	299/2	0.028
	302/5	0.061
	222	0.028
	207	0.020
	245	0.053
	127	0.133
	225	0.109
	201	0.061
	242	0.008
	99	0.129
	299/1	0.028
	290	0.085
	289	0.016
	291	0.053
योग	32	6.797

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लैगु व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलजोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.245 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1734/1	0.036
	1735	0.016
	1738	0.020
	1740	0.020
	1753	0.058
	1640	0.026
	1652	0.020
	1639	0.035
	1742	0.014
योग	9	0.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलजोरा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-पैगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.739 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
219/18	0.145
216/1	0.045
219	0.045

	(1)	(2)
	219/5	0.049
	210	0.036
	219/14	0.206
	213/2	0.069
	219/16	0.287
	214	0.020
	216/2	0.045
	215	0.045
	219/4	0.032
	219/7	0.157
	219/12	0.315
	218	0.243
योग	11	1.739

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मछली व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-सीतापुर

(ग) नगर/ग्राम-रजपुरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.147 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
911/1	0.041
917/1	0.040
1142/4	0.020
1594/1	0.004
918/1	0.032
919/1	0.035
920/1	0.032
920/2	0.015
1178/1	0.038
1179/1	0.021
1168/1	0.004
1169/1	0.002
1170/1	0.041
1171/1	0.069
1175/1	0.081
1180/1	0.060
1147/1	0.072
1553/1	0.153
1587/1	0.081
1084/1	0.004
1094/1	0.023
1096/1	0.007
1094/4	0.012
1096/4	0.006
1096/3	0.006
1097/1	0.024
1098/2	0.004
1100/2	0.004
1097/2	0.024
1098/3	0.015
1099/2	0.004
1437	0.117
1443	0.032
1083/1	0.028
1089/3	0.008
1100/1	0.004
1001	0.006
1002	0.008
1102/1	0.028
1103	0.004
1385	0.088
1466/1	0.028
1467/1	0.031
1467/2	0.030
1450/1	0.073
1451	0.004
1527/1	0.0097
1528/6	0.061
1535/1	0.185

	(1)	(2)
	1555/1	0.120
	1554/1	0.084
	1552/1	0.112
	1142/2	0.021
	1099/1	0.004
योग	54	2.147

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रजपुरी जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-रजपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.353 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1385/1	0.032
	1384	0.048
	1467/1	0.031
	1467/2	0.030
	1470/1	0.053
	1470/2	0.020
	1470/4	0.016
	1470/5	0.132
	1471	0.081
	1473	0.061
	1527/1	0.100
	1474	0.041
	1475/3	0.081
	1476/2	0.081
	1477/2	0.041
	1481	0.081
	1482/2	0.031
	1633/1	0.041
	1483	0.020
	1493	0.072
	1494/1	0.080
	1530	0.004
	1484	0.061
	1485	0.008
	1492	0.081
	1506	0.140
	1513	0.020
	1561	0.004
	1509	0.012
	1510	0.032
	1514/1	0.024
	1515	0.016
	1529	0.060
	1531	0.060
	1532	0.040
	1613	0.041
	1632	0.081
	1508	0.020
	1525/1	0.160
	1525/2	0.160
	1612/1	0.156
योग	41	2.353

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रजपुरी जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-कमलेश्वरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.558 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	477	1.356
	478	0.202
योग	2	1.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रोपाखार जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलजोरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.934 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1609	0.129
1865	0.365
1643	0.085
1663	0.012
1697	0.150
1274/3	0.004
1836	0.016
1872	0.097
167/1	0.054
1668/1	0.036
1560	0.214
1616	0.016
1890	0.028
1696	0.049
1644	0.040
1690/2	0.041
1567/3	0.020
1871	0.113
1860	0.089
1566/1	0.024
1174	0.202
1561	0.150
1695	0.090
1115	0.049
1637/1	0.028
1830/2	0.365
1691/3	0.141
1563	0.214
1861	0.016
1866	0.032
1612	0.016
1618	0.089
1562	0.134
1669	0.049
1120/1	0.102
1664/1	0.102
1564	0.257

(1)	(2)
1692/1	0.026
1566/2	0.004
1856	0.012
1867	0.559
1614	0.073
1296	0.817
1559	0.320
1114	0.121
1118/1	0.065
1640	0.032
1831	0.024
1692/3	0.094
1565	0.016
1863	0.020
1868	0.036
1615	0.024
1277	0.065
1113	0.016
1606	0.053
1120/2	0.057
1641/1	0.150
1636	0.116
1693	0.008
1859	0.024
1839/3	0.104
1869	0.089
1885	0.073
1278	0.040
1839/2	0.081
1607	0.065
1608	0.142
1642	0.021
1880	0.036
1274/2	0.090
1558/2	0.436
1883	0.081
1884	0.202
1879	0.061
1279	0.063
योग 41	7.934

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलजोरा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-बतौली
(ग) नगर/ग्राम-जरहाडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.887 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2	0.170
8/3	0.073
415	0.090
405	0.081
3	0.049
31	0.370
413	0.210
403	0.061
4	0.121
32	0.240
416	0.008
6	0.008
33	0.650
410	0.360
7	0.008
36	0.049
411	0.020
8/1	0.049
401	0.040
406	0.081
8/2	0.008

(1)	(2)
414	0.101
404	0.040
योग 23	2.887

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बतौली से बगीचा मार्ग साकिन सेतु का पहुंच मार्ग

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-कोट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.710 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
988/1	0.073
255/2	0.041
1103/1	0.041
1106/1	0.041
1104/1	0.049
1052	0.049
230	0.154
1087	0.045
253	0.436
990/2	0.041
1060	0.041

(1)	(2)
1053	0.045
232/3	0.243
2430	0.008
1104/2	0.049
251/2	0.020
2432	0.040
2434	0.049
1098	0.041
256/2	0.024
2433	0.032
139/1	0.166
1051	0.089
999/2	0.045
231	0.057
1062	0.069
258	0.133
1102	0.045
1097	0.045
233	0.077
987/1	0.093
985	0.045
1069	0.016
1007	0.093
989	0.101
1057	0.041
1085	0.045
1084	0.028
2429	0.065
1107	0.041
1061	0.097
992/1	0.045
1101/1	0.049
257/1	0.085
1065	0.049
930/4	0.089
235	0.028
242	0.053
984	0.084
1073	0.021
1109	0.061
182	0.441
1105	0.045
1089	0.045
256/1	0.028
2536/1	0.093
180	0.263
1082	0.020

(1)	(2)
993	0.057
1083	0.024
260	0.097
228/1	0.069
1090/1	0.020
236	0.182
246	0.069
980	0.168
1103/2	0.049
991	0.133
239	0.324
1066	0.049
1081	0.020
255/1	0.045
2535	0.053
1058	0.057
179	0.077
990/3	0.089
1091	0.024
1005	0.255
247	0.081
1080	0.008
232/1	0.101
1067	0.049
981	0.092
1079	0.024
2537	0.036
1099	0.041
1059	0.041
1094	0.028
1108/2	0.049
237	0.016
1018	0.012
181	0.129
1004/1	0.081
2431	0.008
1086	0.045
986	0.056
1095	0.036
232/2	0.162
1064	0.004
2435	0.063
1063	0.045
987/3	0.133
1092	0.020
योग 103	7.710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोट व्यपवर्तन योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 31 अगस्त 2015

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-जामढोढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-25.449 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
63	0.102
64/5	0.053
828	0.660
352	0.150
497/2	0.142
489/5	0.777
499	0.292
512	0.247
504	0.129
511	0.837
515/3	0.053
521	0.021
823	0.141

(1)	(2)
497/1	0.141
348	0.243
490	0.514
67/1	0.202
482/6	0.141
479	0.402
486	0.080
489/7	0.405
500	0.174
517	0.640
505	0.424
515/4	0.032
515/2	0.316
553	0.133
825	0.559
503	0.129
482	0.890
64/1	0.056
68/1	0.943
489/6	0.202
843	0.047
487	0.151
489/8	0.575
508	0.162
569	0.263
507	0.138
513/3	0.012
516	0.044
491	0.793
827	0.212
824	0.080
482/7	0.809
551/3	0.283
70/1	0.169
349	0.085
482/2	0.065
488	1.085
492	0.563
745	0.138
585	0.029
509	0.081
514/1	0.016
568	0.051
494	0.061
346/1	0.004
838	0.160
64/2	0.065
77	0.012
350	0.012

	(1)	(2)
	482/4	0.065
	489/2	0.304
	830	0.380
	351	0.134
	502	0.190
	510	0.081
	515/1	0.056
	347	0.016
	496	0.036
	842	0.227
	571	0.044
	64/3	0.052
	68	0.142
	480	0.166
	483	0.059
	489/3	1.647
	832	0.061
	341	0.190
	822	0.113
	570	0.526
	513/2	0.012
	519	0.283
	747	0.081
	845	0.184
	572/1	0.108
	64/4	0.053
	8/1	0.244
	481	0.281
	44/2	0.307
	489/4	0.809
	493	0.324
	506	0.045
	829	0.263
	744	0.210
	514/2	0.016
	520	0.482
	748	0.494
	484/1	0.361
	582	0.069
योग	87	25.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोटछाल जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्र./539/वा./भू.अ./प्र.क्र./13/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पोंड़, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.320 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1606	0.130
	1607	0.150
	1610	0.040
	1611/1	0.060
	1611/2	0.060
	1612	0.020
	1613/2	0.020
	1614	0.020
	1615	0.080
	1617	0.040
	1620	0.050
	1622	0.100
	1623	0.070
	1672	0.020
	1680/3	0.040
	1693/2	0.160
	1694	0.070
	1695/1	0.050
	1695/2	0.050
	1697	0.090
योग	20	1.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पौंड भुरका तामासिवनी मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्र./540/वा./भू.अ./प्र.क्र./14/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह, प.ह.नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.470 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.040
3	0.030
4	0.030
5	0.050
6	0.070
9	0.020
11	0.040
14	0.040
15	0.030
12	0.030
13	0.030

	(1)	(2)
	16/2	0.060
योग	12	0.470

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-पौंड भुरका तामासिवनी मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्र./541/वा./भू.अ./प्र.क्र./16/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छांटा, प.ह.नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.84 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
42	0.03
583	0.03
56	0.02
571	0.02
57	0.01
58	0.01
59	0.02
60	0.01
61	0.04
549/1	0.01
568	0.02
372	0.01
373/2	0.01
374	0.01
932	0.01
375	0.01
376	0.01
377	0.02
379	0.01
380	0.01
381	0.02
450	0.01
451	0.01
452/1	0.01
452/2	0.01
453	0.01
455	0.01
458	0.01
931/1	0.01
461	0.01
462	0.01
463	0.01
464	0.01
553	0.01
473	0.01
481	0.01
931/2	0.01
475	0.01
476	0.01
949	0.02
480	0.01
483	0.01
484	0.01
491	0.01
493	0.01
494	0.01
507	0.01
933	0.01
524	0.02
920	0.01
931/3	0.01
538	0.01
539	0.01
540	0.01
547	0.01
549/2	0.01
554	0.01
551	0.01
569	0.01

	(1)	(2)
	570	0.01
	950	0.02
	934	0.01
	951	0.06
योग	63	0.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-नवापारा-छांटा-कठिया मार्ग चौड़ीकरण निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 13 अक्टूबर 2015

क्र./क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./07/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुलसी, प.ह.नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.247 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1364	0.247
योग	1	0.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-जोरा-सड्डू-धनेली बायपास मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 सितम्बर 2015

प्र. क्रमांक 23/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-कर्रापाली, प.ह.नं. 08
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	125/3, 125/4	0.024
योग	1	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती-टुण्ड्री मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 सितम्बर 2015

प्र. क्रमांक 24/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प.ह.नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.350 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
154/1	0.020
349/1	0.024
349/2, 350/2	0.077
350/1, 351, 352/3	0.061
350/3	0.020
354/2	0.053
354/3, 354/5, 354/9	0.028
354/6	0.020
354/8	0.045
355/2	0.036
357/2	0.024
357/5	0.020
357/6	0.028
378/3	0.004
378/10	0.036
379/1	0.049
379/2	0.024
380/3, 380/4	0.045
381/1	0.049
384	0.065
385/8	0.016
385/12	0.012
389/8	0.032
389/9, 404/1, 404/2	0.024
389/10	0.032
389/11	0.028
389/13	0.028
389/41, 404/3, 404/4	0.024
405/2	0.020
405/6	0.008
412/1	0.008
437/1	0.093
444/1	0.138
446/1	0.024
446/3	0.012
447/1	0.016
447/2	0.020
448/4	0.016
448/5	0.020
449	0.040
463	0.016
464/2, 465/2	0.020
465/1, 466	0.028
467	0.036
468	0.032
469/13	0.057
469/18	0.016
469/19, 550, 558/3	0.040
552	0.138
575/3	0.012
597/1	0.364
597/2	0.036
597/4	0.024
597/9	0.012
597/10	0.016
598/4	0.016
598/6	0.024
598/8	0.016
600/1	0.008
600/9	0.028
601/1	0.020
601/2	0.012
601/3	0.012
601/4	0.020
1331	0.008
योग 65	2.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती-टुण्ड्री मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 सितम्बर 2015

प्र. क्रमांक 25/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-हरदी, प.ह.नं. 07

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.836 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
234/1	0.024
234/2	0.008
234/3	0.016
254/1	0.016
265/1	0.073
266/1, 266/2	0.012
266/3	0.024
270	0.069
271	0.020
280/1	0.004
280/3	0.004
280/4	0.004
281	0.016
282/1, 282/2	0.036
284/1, 284/2	0.008
284/3	0.008
284/4	0.008
293	0.081
294	0.040
295	0.020
296	0.024
297/1	0.182
297/2	0.081
297/3, 298	0.178
297/7	0.020
538/1	0.194
540/1	0.008
541	0.040
542/1	0.138
545/1	0.219
547/1	0.081
547/2	0.040
547/3	0.040
548	0.012
549/1, 549/2	0.032
549/3	0.028
572	0.020
575	0.008
योग 37	1.836

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती-टुण्ड्री मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड

बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/4969.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2014-15/4872 दिनांक 02-12-2014 द्वारा श्री संदीप ठाकुर तहसीलदार, तहसील कार्यालय अकलतरा को कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा का ज्ञापन क्रमांक 4274/स्थापना/2015 दिनांक 01-10-2015 द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह जोशी, प्रभारी तहसीलदार तहसील कार्यालय अकलतरा को कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री संदीप ठाकुर तहसीलदार, तहसील कार्यालय अकलतरा का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री भूपेन्द्र सिंह जोशी, प्रभारी तहसीलदार कार्यालय अकलतरा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/4971.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2012-13/278 दिनांक 12-04-2012 द्वारा श्री बी. बी. अरोरा उप संचालक कृषि को कृषि उपज मंडी समिति गीदम जिला-दंतेवाड़ा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कलेक्टर कार्यालय एवं जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का पत्र क्रमांक 518/खाद्य./2015 दिनांक 01-10-2015 द्वारा श्री पी. आर. बघेल सहायक संचालक (कृषि) दंतेवाड़ा जिला उत्तर बस्तर दंतेवाड़ा को कृषि उपज मंडी समिति गीदम के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. बी. अरोरा उप संचालक कृषि के स्थान पर श्री पी. आर. बघेल सहायक संचालक (कृषि) दंतेवाड़ा जिला उत्तर बस्तर दंतेवाड़ा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति गीदम जिला-दंतेवाड़ा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर 2015

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2015-16/4973.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2012-13/3343 दिनांक 29-08-2012 द्वारा श्री एच. एस. राजपूत उप संचालक कृषि बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया को भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर कार्यालय एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोरिया बैकुण्ठपुर का पत्र क्रमांक 6407/व.लि./भा.सा.अधि./2015 दिनांक 30-09-2015 के द्वारा एम जी. श्याम कुंवर, उप संचालक कृषि, जिला-कोरिया, को कृषि उपज मंडी समिति बैकुण्ठपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एच. एस. राजपूत उप संचालक कृषि बैकुण्ठपुर के स्थान पर श्री एम. जी. श्याम कुंवर, उप संचालक, कृषि, जिला-कोरिया, को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी) जिला रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्रमांक/आब./बका./2015/5778.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, कि आबकारी विभाग जिला रायपुर के निम्नांकित बकायादारों से उनके नाम के सामने दर्शायी गई राशि की वसूली की जाना है. अत: उनकी चल/अचल संपत्ति के बारे में विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह के भीतर जानकारी देकर शासकीय राशि की वसूली में सहयोग दें.

क्र.	रा.मा.क्र.	बकायादार का नाम	नाम दुकान	बकाया वर्ष	बकाया राशि	छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	10बी/96/2003-04	श्री कृष्ण कुमार उज्जवने वल्द नारायण राव साकिन सूर्यवंशी कृषि फार्म भाठागांव रायपुर छ.ग.	विदेशी मदिरा दुकान गुढ़ियारी/गोगांव रायपुर की ड्यूटी अंतर की राशि.	2003-04	2611185/-	26-11-2010
2.	07बी/96/2003-04	श्री अमित छाबड़ा वल्द हेमराज छाबड़ा साकिन ए.सी.सी. रावणभाठा जामुल नगर जिला-दुर्ग.	विदेशी मदिरा दुकान टिकरापारा रायपुर की ड्यूटी अंतर की राशि.	2002-03	4721489/-	23-03-2009
3.	08बी/96/2003-04	श्री देवेन्द्र महतो वल्द कन्हाई साकिन साहूपारा फाफाडीह, रायपुर.	विदेशी मदिरा दुकान खरोरा रायपुर की ड्यूटी अंतर की राशि.	2002-03	1194293/-	-
4.	01बी/96/2004-05	श्री विवेक महर्षि वल्द जगदीश चन्द्र महर्षि आदिश्वर काम्पलेक्स रामसागर पारा रायपुर.	केबल मनोरंजन शुल्क	2004-05 (01-08-2004 से 19-11-2004)	178720/-	02-04-2009
5.	01बी/124/2005-06	श्री मिथलेश स्वर्णकार वल्द सी.एल. स्वर्णकार मोती तालाब पारा हीगरा वार्ड जगदलपुर.	केबल मनोरंजन शुल्क	2005-06	581478/-	-

आशीष श्रीवास्तव
अतिरिक्त तहसीलदार (आबकारी)
एवं उपायुक्त आबकारी.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्रमांक/821/न.ग्रा.नि./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि चंद्रपुर निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत सभा कक्ष चंद्रपुर एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 16-09-2015 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

चंद्रपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम मड़वा, सिरौली एवं बिरहाभाठा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम बिरहाभाठा, पलसदा, बिलाईगढ़, चंदेली, महादेवपाली, कलमा एवं बालपुर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम बालपुर, कलमा, महादेवपाली, चंद्रपुर एवं काशीडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम काशीडीह, मिरौनी एवं मड़वा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No./821/T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Chandrapur Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 16-09-2015 during office hour's in the Office of the Collector Distt. Janjgir-Champa (C.G.) Office of the Nagar Panchayat, Chandrapur, Distt. Janjgir-Champa (C.G.) and Office of the Assistant Director, Town and Country Planning, Janjgir-Champa (C.G.). The limits of Chandrapur Planning Area detailed in schedule given below :

SCHEDULE

The Limits of Chandrapur Planning Area

NORTH	:	Village Madwa, Sirauli and Birhabhatha upto the North limit.
EAST	:	Village Birhabhatha, Palasda, Bilaigarh, Chandeli, Mhadevpali, Kalma and Balpur upto the East limit.
SOUTH	:	Village Balpur, Kalma, Mhadevpali, Chandrapur and Kanshidih upto the South limit.
WEST	:	Village Kanshidih, Mirauni and Madwa upto the West limit.

If there be any objection or suggestion regarding so prepared the existing land use map should be given in writing at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Where Any objection or suggestion regarding said above existing land use map wich received from any person before the specified period will be considered by the Commissioner Cum-Director Town And Country Planning C.G., Naya Raipur.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 22 सितम्बर 2015

क्रमांक/853/न.ग्रा.नि./2015.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मालखरौदा निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा, जनपद पंचायत सभा कक्ष मालखरौदा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 22-09-2015 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

मालखरौदा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कलमी, विरभाठा एवं मुक्ता ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम मुक्ता एवं चिखली ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम चिखली, चारपारा एवं बड़े सीपत ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बड़े सीपत, छोटे सीपत एवं कलमी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No./853/T & CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Malkharauda Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 22-09-2015 during office hour's in the Office of the Collector Distt. Janjgir-Champa (C.G.) Office of the Janpad Panchayat, Malkharauda, Distt. Janjgir-Champa (C.G.) and Office of the Assistant Director, Town and Country Planning, Janjgir-Champa (C.G.). The limits of Malkharauda Planning Area detailed in schedule given below :

SCHEDULE

The Limits of Malkharauda Planning Area

NORTH : Village Kalmi, Virbhatha and Mukta upto the North limit.
EAST : Village Mukta and Chikhali upto the East limit.
SOUTH : Village Chikhali, Charpara and Bare Sipat upto the South limit.
WEST : Village Bare Sipat, Chhote Sipat and Kalmi upto the West limit.

If there be any objection or suggestion regarding so prepared the existing land use map should be given in writing at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Where Any objection or suggestion regarding said above existing land use map wich received from any person before the specified period will be considered by the Commissioner Cum-Director Town And Country Planning, C.G., Naya Raipur.

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd October 2015

No. 949/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following candidates as mentioned in Column No. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3) of the tabele below with a direction to join their place of posting positively within 15 days from the date of this order :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Ku. Apurva Khare, D/o Shri Prabhu Dayal Khare	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.
2.	Smt. Prateeksha Sharma, W/o Shri Chandrashekhar Agrawal.	V Civil Judge Class-II, Bilaspur
3.	Ku. Mayura Gupta, D/o Shri Madan Lal Gupta	I Civil Judge Class-II, Mahasamund
4.	Ku. Astha Yadav, D/o Shri Vijay Kumar Yadav	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Surajpur.
5.	Ku. Tanu Shree Gavel, D/o Shri Shankar Singh Gavel.	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
6.	Shri Anand Kumar Singh, S/o Shri Naredra Dev Singh.	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Kondagaon.
7.	Shri Ramesh Kumar Chauhan, S/o Shri U. R. Chauhan.	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Korba.
8.	Ku. Manju Lata Sinha, D/o Shri Dinesh Kumar Sinha.	Civil Judge Class-II, Baloda-Bazar
9.	Shri Gulapan Ram Yadav, S/o Shri Rupan Ram Yadav.	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
10.	Shri Satyanand Prasad, S/o Shri Kripasindhu	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
11.	Ku. Khileshwari Sinha, D/o Shri Vedram Sinha	V Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
12.	Shri Bhagwan Das Panika, S/o Late Shri Mohit Das Panika.	VI Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Durg.
13.	Ku. Neha Usendi, D/o Shri Narsingh Usendi	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
14.	Shri Anant Deep Tirkey, S/o Shri D. Arvind Tirkey	IV Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.

(1)	(2)	(3)
15.	Ku. Anita Koshima, D/o Shri Sukhnandan Singh Koshima.	Civil Judge Class-II, Kawardha
16.	Shri Bhavesh Kumar Watti, S/o Late Shri Ramcharan Watti.	V Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
17.	Ku. Deepa Suchita Tirkey, D/o Shri Fulgence Tirkey	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur
18.	Ku. Seema Jagdalla, D/o Shri Makardhawaj Jagdalla	I Civil Judge Class-II, Balod
19.	Smt. Kanchan Lata Achala, W/o Shri R. P. Achala	VI Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
20.	Ku. Anjali Singh, D/o Late Shri B. L. Singh	Civil Judge Class-II, Baikunthpur

बिलासपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2015

क्रमांक 7978/दो-15-19/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य शासन के अनुरोध पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित परिवीक्षाधीन सहायक कलेक्टरों को सारणी के स्तम्भ (3) में प्रत्येक के सामने दर्शाये गये राजस्व जिले में एक सप्ताह (दिनांक 11-12-2015 से 17-12-2015) के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 10 (धारा 181 को छोड़कर), तेरह (धारा 281 और 295-क को छोड़कर), 15 एवं 19 तथा धाराएं 143, 151, 153, 154 से 160, 171, 323, 324, 337, 342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-ई, 504, 508, 509 एवं 510 के अधीन दण्डनीय अपराधों, जो एक वर्ष के कारावास से अधिक दण्ड से दण्डनीय न हो, से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की शक्तियों से वेष्ठित करता है जो संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा विचारण हेतु उन्हें सौंपे जावे.

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	जिले का नाम एवं अधिकृत स्थानीय क्षेत्र (3)
1.	श्री अमृत विकास टोप्पो, सहायक कलेक्टर, बस्तर	बस्तर स्थान जगदलपुर
2.	श्री कुलदीप शर्मा, सहायक कलेक्टर, दंतेवाड़ा	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
3.	श्री कुन्दन कुमार, सहायक कलेक्टर, राजनांदगांव	राजनांदगांव
4.	सुश्री रिचा प्रकाश चौधरी, सहायक कलेक्टर, सरगुजा	सरगुजा (अंबिकापुर)
5.	श्री रितुराज रघुवंशी, सहायक कलेक्टर, रायगढ़	रायगढ़
6.	श्री एस. जयवर्धन, सहायक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा

No. 7978/II-15-19/2000.—In exercise of the powers Conferred by Section 13 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and on the request of the State Government of Chhattisgarh, the High Court of Chhattisgarh hereby Conferred the powers of Judicial Magistrate of Second Class upon the Probationary Assistant Collectors name mentioned in Column (2) of the table below to exercise jurisdictions in the local areas specified against their repsective names in column (3) of the table below for a week (11-12-2015 to 17-12-2015) and to such cases & such offences as may be assigned to them by the Chief Judicial Magistrate of the respective areas under chapters 10 (Except Section 181), 13 (Except Section 281, 295-A) 15 and 19 and Sections 143, 151, 153, 154 to 160, 171, 323, 324, 337,

342, 357, 358, 374, 379, 403, 411, 414, 417, 426, 427, 428, 434, 448, 486, 489, 489-E, 504, 508, 509 and 510 of the Indian Penal Code, provided that the offences are not punishable with imprisonment for more than one year.

Table

Sl. No. (1)	Name of Officers (2)	Name of District and Name of Local area of Jurisdiction (3)
1.	Shri Amrit Vikas Toppo, Assistant Collector, Bastar	Bastar at Jagdalpur
2.	Shri Kuldeep Sharma, Assistant Collector, Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)
3.	Shri Kundan Kumar, Assistant Collector, Rajnandgaon	Rajnandgaon
4.	Miss Richa Prakash Choudhary, Assistant Collector, Surguja.	Surguja (Ambikapur)
5.	Shri Rituraj Raghuwanshi, Assistant Collector, Raigarh.	Raigarh
6.	Shri S. Jaivardhana, Assistant Collector, Janjgir-Chamapa	Janjgir-Chamapa

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

क्रमांक 170/दो-2-20/2005.—श्री महेन्द्र पाल सिंघल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 31-07-2015 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2015

क्रमांक 171/दो-3-20/2007.—श्री शिवमंगल पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा, दिनांक 31-05-2015 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अरविन्द सिंह चन्देल, रजिस्ट्रार जनरल.